न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 06/2023 G.C.M.S. No. 2023/309 दर्ज दिनांक : 29.09.2023

अपीलार्थिगण:

1. रताराम पुत्र वागाराम, उम्र वयस्क, जाति देवासी
2. हंजा पत्नि रताराम, उम्र वयस्क, जाति देवासी, निवासीगण मोरीगांव, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत हंसाराम के कायम मुकाम:–
   1/1 तेजाराम पुत्र स्व. हंसाराम, उम्र वयस्क
   1/2 दिनेशकुमार पुत्र स्व. हंसाराम, उम्र वयस्क
   1/3 भंवरलाल पुत्र स्व. हंसाराम, उम्र वयस्क, जातिगण मेघवाल, निवासीगण बेड़ा, तहसील बाली व जिला पाली।
   1/4 चंपादेवी पुत्री स्व. हंसाराम पत्नि सखाराम, उम्र वयस्क, जाति मेघवाल, निवासी चामुण्डेरी, तहसील व जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली व जिला पाली।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली एवं पदेन अध्यक्ष भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 22.06.1976 को हंसाराम पुत्र पुराजी को ग्राम बेडा चक नंबर 2 के गत खसरा नंबर 1359/14 वर्तमान खसरा संख्या 3797/3 रकबा 1.28 हैक्टेयर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं धारा 96 सीपीसी</u>

<u>पैरोकार:–</u>

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 31.07.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 उपखंड अधिकारी बाली एवं पदेन अध्यक्ष भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 22.06.1976 को हंसाराम पुत्र पुराजी को ग्राम बेडा चक नंबर 2 के गत खसरा नंबर 1359/14 वर्तमान खसरा संख्या 3797/3 रकबा 1.28 हैक्टेयर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम बेडा चक नम्बर 2 के गत खसरा नम्बर 1359/14 हाल खसरा नम्बर 3797/3 रकबा 1.28 हैक्टेयर कृषि भूमि का आवंटन रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 1/4 के पिता जी हंसाराम पुत्र पुराजी के पक्ष में किया गया है। उपरोक्त भूमि पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट्स अपने पूर्वजों के समय से पिछले 50 सालों से लगातार काबिज है, काश्त कर रहे हैं, उपयोग–उपभोग कर रहें हैं। उपरोक्त आवंटन भूमि के चिपते मूल खसरा नम्बर 3797 एवं 3797/1 की भूमि अपीलांट्स के खातेदारी की स्थित है। इस प्रकार उपरोक्त खातेदारी एवं जैर अपील आवंटनशुदा भूमि मौके पर एक चक में लम्बे समय से अपीलांट्स के कब्जे में लगातार चली आ रही हैं। उपरोक्त भूमि अपीलांट्स के आजीविका का साधन है। आज भी मौके पर अपीलांट्स ही काबिज है एवं वास्तविक भौतिक रूप से उपयोग–उपभोग कर रहें हैं। इसके बावजूद समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए बिना सही स्थिति की जांच किये ही अवैध रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाफिक जैर अपील आदेश पारित किया हैं। इसके साथ ही जैर अपील आवंटन किये जाने से पूर्व न तो विधिवत उद्घोषणा जारी की गयी, न ही आवंटन आमंत्रित किये गये, उपरोक्त जैर अपील आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं किया गया है। जैर अपील आवंटन फॉर्म में आवंटन किसके द्वारा किया गया है अंकित नहीं हैं। फॉर्म में आवंटी के पास भूमि स्थित है या नहीं फॉर्म के उक्त कॉलम में नील लिखा गया है। प्रार्थी को किस खसरे की भूमि आवंटन करनी हैं उक्त खसरा नम्बर फॉर्म में अंकित नहीं हैं। आवंटन फॉर्म में दिनांक अंकित नहीं हैं, दिनांक के कॉलम रिक्त पड़े हैं। उक्त आवंटन फॉर्म के पीछे की तरफ चुन्नीलाल पुत्र पुरा जी जाति भांबी निवासी बेड़ा को आवंटन होना बताया है। उक्त चुन्नीलाल नाम के ऊपर कांट–छांट करके हंसाराम नाम लिखा गया है। आवंटन फॉर्म की पुष्ठ पर क्रमांक संख्या 1 में प्रार्थी के खुद के खाते की 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि होना बताया है, जबकि आवंटन फॉर्म में प्रार्थी के पास भूमि नहीं होना बताया है। उक्त आवंटन कैम्प बेड़ा में होना बताया है एवं आवंटन फॉर्म की पुष्ठ पर कैम्प बेड़ा लिखा है। उसके ऊपर भोपालसिंह के हस्ताक्षर है। भोपालसिंह कौन है क्या है कुछ भी स्पष्ट नहीं हैं। आवंटन कॉरम के हस्ताक्षर नहीं हैं। मात्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि हंसाराम को आवंटन करना तो बताया है, लेकिन हकीकत इससे कौसो दूर है। सही स्थिति यह है कि हंसाराम को अविधिक लाभ पहुंचाने के लिए गलत तरीके से विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाकर उक्त आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन का कार्यालय रजिस्टर पर अंकन नहीं हैं। आवंटन कॉरम के बिना ही उपखण्ड अधिकारी महोदय ने अपनी मनमर्जी से मनचाहे तरीके से चुन्नीलाल नाम के व्यक्ति के आवंटन आदेश में कांट–छांट कर रेस्पोंडेंट के पिताजी हंसाराम को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उक्त आवंटन कर दिया, जबकि इस सन्दर्भ में न तो आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच विचार–विमर्श हुआ, न ही इस सन्दर्भ में समिति के सदस्यों की राय व सहमति ली गयी। वास्तव में सहमति व राय ली जाती तो उपरोक्त आवंटन आदेश के अंत में सभी कॉरम के सदस्यों के हस्ताक्षर करवाये जाते। उपरोक्त आवंटन के सम्बंध में किसी प्रकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कोई बैठक कार्यवाही नहीं है। उपरोक्त जैर अपील आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया जाना किसी भी रूप से नहीं माना जा सकता है। केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा ही किया गया माना जाएगा, इस कारण से भी जैर अपील आवंटन कॉरम के अभाव में कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं। आवंटन नियमों की पूर्णतया अवहेलना करते हुए जैर अपील आवंटन आदेश पारित किया गया है। आवंटन शुदा भूमि अधिवासित भूमि है और कई दशकों से अपीलांट्स काबिज है। ऐसी भूमि को नियमित किये जाने के सन्दर्भ में विधिवत् आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांट्स का आधिपत्य नियमन की तारीख में नहीं आने की सूरत में विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलांट्स को बेदखल करने के पश्चात ही उपरोक्त भूमि रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 को आवंटन की जा सकती थीं। अपीलांट्स ने उपरोक्त भूमि को नियमन किये जाने के सन्दर्भ में कई बार रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 से एवं अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया था, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई न तो कार्यवाही की गयी, न ही आदेश पारित किया गया और मनमर्जी से जैर अपील आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त जैर अपील आवंटन आदेश द्वारा आवंटन की गयी भूमि पर आज भी रेस्पोंडेंट्स संख्या 1/1 से 1/4 का कब्जा नहीं हैं। मौके पर उपरोक्त आवंटन शुदा भूमि का अलग से कोई अस्तित्व भी नहीं हैं। आवंटन शुदा भूमि पर रेस्पोंडेंट्स का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं बल्कि अपीलांट्स काबिज है एवं काश्त कर रहे हैं। रेस्पोंडेंट्स ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली को दिनांक 30.5.2023 को भूमि को कब्जा मुक्त कराने हेतु आवेदन पेश किया है। उक्त आवेदन से भी स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोंडेंट्स का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटी एवं उसके वारिसान का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटी का वक्त आवंटन से आज दिनांक तक कभी भी कब्जा नहीं रहा है। इसलिए आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) और 14(8) के अनुरूप आवंटन स्वतः आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। आवंटन हेतु कोरम पर्याप्त नहीं था। अपूर्ण कोरम द्वारा कब्जा की जांच किये बिना आवंटन किया गया है, इसलिए भी आवंटन खारिज योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील उपखंड अधिकारी बाली एवं पदेन अध्यक्ष भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 22.06.1976 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हंसाराम पुत्र पुराजी को ग्राम बेडा चक नंबर 2 के गत खसरा नंबर 1359/14 वर्तमान खसरा संख्या 3797/3 रकबा 1.28 हैक्टेयर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया, के विरूद्ध दिनांक 27.09.2023 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं विलंबकाल माफ किये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की।

2. प्रकरण में सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र का निर्णयन किया जाना आवश्यक है। अपीलांट प्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वह वादग्रस्त भूमि पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है एवं अपीलांट्स का आधिपत्य नियमन की तारीख में आता है। अपीलांट्स के नियमन बाबत आवेदन पर कोई आदेश पारित बिना व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिए बिना जैर अपील आवंटन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलांट्स प्रथमदृष्टया व्यथित व प्रभावित पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र व अपील में प्रकट कथनों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आराजीयात नये सिलिंग कानून के अंतर्गत अधिग्रहण होकर सिवायचक दर्ज हुई तथा दिनांक 22.06.1976 को उपखंड अधिकारी बाली व पदेन अध्यक्ष भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोंडेंट हंसाराम जो अनुसूचित जाति का काश्तकार है, को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थीं। इस प्रकार अपीलाधीन आराजी वक्त आवंटन राजकीय सिवायचक भूमि थीं। प्रथम तो अपीलांट प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास किये जाने का पर्याप्त आधार हों कि अपीलाधीन आराजीयात पर आवंटन के पूर्व से निरंतर उसका कब्जाकाश्त हों, दोयम यदि अपीलांट का कब्जाकाश्त वक्त आवंटन मान भी लिया जाए तो भी अपीलांट की हैसियत महज एक अतिक्रमी की होती हैं। उससे अधिक नहीं। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आर.बी.जे. (16) 2009 पेज 709 मनीराम बनाम देवीसिंह में निम्नानुसार मत प्रकट किया है, जो प्रकरण में हूबहू चस्पा होता है, के अनुसार–

"RAJASTHAN LAND REVENUE (Allotment of Land for agricultural Purposes) RULES, 1970 – Rule 14 (4) – When disputed land was in possession of the appellant as trespasser – Such possession would be considered as trespass – A trespassed land is not considered as an occupied land and such land is available for allotment."

4. पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22.06.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उपरांत नामांतरण संख्या 151 द्वारा आवंटी का नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज हुआ तथा नामांतरण संख्या 609 दिनांक 22.10.2001 द्वारा गैर खातेदार से खातेदार दर्ज हुआ, जो बदस्तूर जारी रहा। इस प्रकार रेस्पोंडेंट आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी भी प्रदान की जा चुकी हैं। यदि अपीलाधीन आराजीयात पर निरंतर अपीलांट का कब्जाकाश्त होता है तो आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती थीं।

5. संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह भी सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विश्वास किया जाए कि वादग्रस्त अपीलाधीन आराजीयात में किसी भी प्रकार से अपीलांट का कोई हक निहित हों तथा अपीलांट किस प्रकार से अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.1976 से पीडित व प्रभावित पक्षकार हों ? अतः हमारे विनम्र मत में न तो अपीलांट का अपीलाधीन आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हित इत्यादि निहित है तथा न ही अपीलांट अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.1976 से किसी भी रूप में पीड़ित, प्रभावित व व्यथित व्यक्ति है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.1976 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा। लिहाजा, प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner